FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी **मुकाम** बाप (जोधपुर)

दुर्गाराम गोद पुत्र अनोपाराम **बनाम** खमा पुत्री मुल्तानाराम वगैरा

किस्म मुकदमा 212 आर.टी.एक्ट मु.नं. 278 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2025	राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता विरूद्व अप्रार्थीगण के पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 9 की और से अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने वकालतनामा व केवियट प्रार्थना-पत्र पूर्व में प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 9 की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन बहस पर मनन करने पर पाया गया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रकरण प्रथम दुष्टया अपूर्णनीय क्षति का प्रतीत होता है अतः ग्राम मशाला पटवार हल्का टेकरा तहसील बाप के खसरा नंबर 832 रकबा 23.5203 हैक्टेयर भूमि में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 8 व 9 के इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण संख्या 8 व 9 आगामी तारीख पेशी तक उक्त वादग्रस्त आराजी में मौके एवं राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त स्थगन आदेश इस शर्त पर दिया जाता है कि वकील प्रार्थी द्वारा जबाव पेश होने पर बहस हेतु एक से अधिक बार समय मांगने पर स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावे। अधिवक्ता प्रार्थीगण शेष अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजि. एडी. से करवाकर रसीदे तीन दिवस में पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी व जबाव प्रार्थना पत्र दिनांक 17.9.25 को पेश हो। [signature] 12/9/25 सहायक कलक्टर बाप (जोधपुर)	
17/09/2025	आज श्रीमान ए.सी.एम./एस.डी.एम. साहब अवकाश पर हैं। पेशी इत्तबा की जाकर पत्रावली तारीख 30/10/25 को पेश हो।	
23/09/2025	वकील प्रार्थी के मिसल तलबी के प्रार्थना पत्र पेश हुई। मूल पत्रावली तलब होकर प्राप्त है। बाद कार्यवाही विड्रो खारिज किये जाने से स्थगन प्रार्थना-पत्र को आगे चलाना उचित नहीं है इसलिए स्थगन प्रार्थना-पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] समाप्त हो। नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे। [signature] 23/9/25 ([illegible]) RAS सहायक कलक्टर बाप (फलोदी)	